



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.07.2026

थाना कविनगर पुलिस टीम व स्वाट टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे 1500 किलो सरिया मय ट्रैक्टर ट्राली बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 19.07.2026 को शान्ति व्यवस्था चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अभि० के दौरान फैक्ट्री एरिया मे मुखर्जी पार्क के पास सरिया से भरी ट्रैक्टर ट्राली पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिये जिन्हे रोकने का इशारा किया तो तुरन्त ट्रैक्टर ट्राली को पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया तो कवि नगर पुलिस टीम व स्वाट टीम द्वारा सरिया से भरी ट्रैक्टर ट्राली मय अभियुक्तगण 1. धर्मेन्द्र पुत्र कंछित सिंह निवासी गांव अहार थाना अहार जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 32 वर्ष 2. रोहित पुत्र रविन्द्र निवासी गांव अहार थाना अहार जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 19 वर्ष को गोपाल धर्म काटा चौकी औद्योगिक क्षेत्र कविनगर कमि० गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि यह सरिया हम लोग अलग-अलग ट्रकों से लोहामंडी में उतारते है तथा फिर बेच देते है । आज हम सरिया बैचने जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया ।

अभियुक्त का नाम पता-

1. धर्मेन्द्र पुत्र कंछित सिंह निवासी गांव अहार थाना अहार जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 32 वर्ष ।
2. रोहित पुत्र रविन्द्र निवासी गांव अहार थाना अहार जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी

1. एक ट्रैक्टर महिन्द्रा रंग लाल रजि० नम्बर UP13AT0972
2. 1500 किलो सरिया

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

1. स्वाट टीम कमि० गाजियाबाद
2. थाना कविनगर पुलिस टीम कमि० गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 19.05.2026 को वादी सूरज प्रधान निवासी थाना साहिबाबाद क्षेत्र द्वारा लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 07.05.2026 को अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास स्थित वृन्दावन गार्डन से

उनकी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पर धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 18/19.07.2026 की रात्रि थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग के दौरान मेट्रो पिलर संख्या 109 व 110 के बीच गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर 02 अभियुक्तों को चोरी की 02 मोटरसाइकिलों सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से उक्त मुकदमे से संबंधित चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि दोनों आपस में दोस्त हैं तथा मिलकर मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बरामद मोटरसाइकिलों में से एक को उन्होंने दिनांक 07.05.2026 को मोहननगर स्थित वृंदावन ग्रीन्स बैंक्वेट हॉल के पास से तथा दूसरी को दिनांक 02.06.2026 को खिचड़ीपुर, दिल्ली क्षेत्र से चोरी किया था। चोरी की गई मोटरसाइकिलों का उपयोग वे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अन्य वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने तथा आने-जाने के लिए करते थे। अभियुक्त इन मोटरसाइकिलों को बेचने के उद्देश्य से दिल्ली जा रहे थे, तभी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

1. रमीज पुत्र जमीर अहमद निवासी संजय कॉलोनी अर्थला टावर के पास थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।
2. शमशाद उर्फ आहिल पुत्र रहीश खान निवासी म०न० 719 संजय कॉलोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त रमीज का आपराधिक इतिहास:-

- अभियुक्त रमीज उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली राज्य में चोरी का 01 मुकदमा एवं थाना साहिबाबाद में मोटरसाइकिल चोरी का 01 मुकदमा व चोरी मोटरसाइकिल बरामदगी का 01 मुकदमा कुल 03 मुकदमे दर्ज है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त शमशाद उर्फ आहिल का आपराधिक इतिहास:-

- अभियुक्त रमीज उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली राज्य में चोरी का 01 मुकदमा एवं थाना साहिबाबाद में मोटरसाईकिल चोरी का 01 मुकदमा व चोरी मोटरसाईकिल बरामदगी का 01 मुकदमा कुल 03 मुकदमे दर्ज है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।